(नियम 26)

अज अदालत .... उप जिला कलेक्टर .... मुकाम .... दीगोद

.... धन्नालाल .... बनाम .... राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा .... 88, 89, 188 RTA .... नं. .... 188 .... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2018/00031	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/3/18	वाद वादी धन्नालाल की ओर से वकील श्री रघुवीर वैष्णव ने प्रस्तुत किया। [illegible] दर्ज की गई. वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी को तलबी की जावे मिसल दिनांक 2/4/18 को पेश हो।	
2/4/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 26/4/18 को पेश हो।	
26/4/18	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 7/5/18 कैम्प भौंरा को पेश हो।	
07.05.18	पत्रावली लोक अदालत केम्प भौंरा में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के सम्बन्ध में वकील वादी को सुना गया। वकील वादी नें कथन किये कि ग्राम भौंरा तहसील दीगोद में स्थित ख0नं0 49 की 0.21 हे0 व ख0नं0 50 की 0.29 हे0 एवं ख0नं0 48 की 1.15 हे0 में से 0.40 हे0 भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान की जावें। मजमें आम में प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया गया। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया। विवादित आराजी	[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो बतामील हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्तमान में सिवायचक खाता सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया गया है कि वादी उक्त भूमियों पर मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिसे हर वर्ष 91 एलआरए की कार्यवाही करते हुए बेदखल किया जाता है। जिससे वादी का कब्जा अनवरत साबित नहीं होता है। वैसे भी वादी को सिवायचक भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88–89 के अन्तर्गत रिलीफ प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं पाया जाता है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय मजमें आम मे सुनाया गया। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	